जवाहर नवोदय विद्यालय,महियॉवाली,श्री गंगानगर (राज0)
कैंटीन (टकशॉप) हेतु नियम एवं शर्ते

निविदा कैंटीन (टकशॉप) प्रपत्र अमानत राशि 2000/–

निविदा प्रपत्र शुल्क :–100/– रसीद नं................. दिनॅाक................
पार्टी का नाम : ....
....
....
अमानत राशी का विवरण : डी0डी0 नं0 .... दिनॅाक ....
राशी रूपये ....

नियम व शर्तेः–

1. विद्यालय द्वारा आंवटित स्थान पर ही टकशॉप का कार्य कर सकेगें।
2. टकशॉप में विक्रय की जाने वाली सामग्री ब्राडेंड होनी चाहिये तथा अनुमोदित दर से अधिक राशि पर सामान नही बेचा जाना चाहिए एवं टकशॉप में सामग्री विक्रय करने का समय दोपहर 1.30 बजे से साय 7.30 बजे तक करेंगे एवं प्रातः 6 बजे से 7.00 बजे तक एक घन्टा बिक्री कर सकते है। साप्ताहिक अवकाश (रविवार) को पूरे दिन प्रात 7.00 बजे से सांय 7.30 बजे तक विक्रय कर सकते है।
3. टकशॉप पर केवल टेलीफोन का कनैक्शन बी.एस.एन.एल. का ही लगाना होगा तथा बिल डिसपले अथवा रसीद प्रिंटर से निकलना चाहिए। मोबाईल का उपयोग वर्जित होगा
4. किसी भी छात्र/छात्रों को उधार सामान नही देगें, यदि ऐसा पाया गया तो इस वसूली के लिए आप स्वंय जिम्मेदार होगें एवम् आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप किसी भी समय छात्रावास में किसी भी छात्र/छात्रा को फोन आने पर नही बुलाने जाएँगे।
5. आप किसी भी छात्रा विद्यार्थी को बिना किसी महिला स्टाफ के टेलिफोन पर बात करने की अनुमति न दें।
6. चूंकि यह आवासीय विद्यालय है आप यह ध्यान रखें कि आपके पास कोई भी फोन जो कि छात्र/छात्रा से संबंधित है का नाम संबंध एवं पता अवश्य पूछ लें और उसे नोट कर लेवें। विद्यालय प्रशासन द्वारा समय–समय पर इसकी जॉच भी की जायेगी।
7. टकशॉप में मादक पदार्थ जैसे धूम्रपान संबंधित वस्तुएं, पान, जर्दा, तम्बाकू इत्यादि नही रखेगें। यदि विद्यालय द्वारा प्रशासन द्वारा जॉच में या किसी के द्वारा सूचित करने पर उक्त सामग्री पायी गयी तो आपकी निविदा निरस्त कर आपकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. टकशॉप पर आप स्वंय बैठेगें, अपने किसी परिचित या रिश्तेदार को दुकान पर नही बैठायेगें। विद्यालय समय में विद्यार्थियों को टकशॉप पर नही बैठने देगें।
9. आप किसी भी बाहरी व्यक्तियों को टकशॉप पर नही बैठाऐंगे। यह टकशॉप केवल विद्यालय के लिए है, इसलिए बाहरी ग्रहक वर्जित होगें।
10. टकशॉप पर 'एक्सपायरी डेट' की खाद्य सामग्री, पेयजल पदार्थ नही रखेगें। अगर विद्यालय प्रशासन द्वारा अचानक जॉच में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री एवं पेयजल पदार्थ पायेगें। तो उसे विद्यालय स्तर पर उठाकर फैंक दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेवारी आपकी होगी।
11. फोन (एस.टी.डी. पी.सी.ओ) करवाने के लिए छात्र/छात्राओं का अलग–अलग समय सुनिश्चित करके दुकान में लिखित में रखना होगा।
12. टकशॉप पर बिजली विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी, जिस पर सब मीटर लगा हुआ है, मीटर रीडिंग के अनुसार भुगतान प्रतिमाह के हिसाब से एवं पानी का प्रतिमाह का चार्ज विद्यालय नियमानुसार देना होगा। दुकान का किराया माह की 10 तारीख तक जमा कराना होगा ।
13. विद्यालय प्रशासन द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा निर्देशानुसार आपको कार्य करना होगा।

प्राचार्य
ज.न.वि.महियांवाली, श्रीगंगानगर।

टकशाप का प्रतिमाह किराया .... देने को तैयार हूं।
ब्राडेंड सामान की एम.आर.पी. पर देय.......................... प्रतिशत से कम पर विक्रय हेतु सहमत हूं।
निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते मैनें/हमने पढ़कर समझ ली है तथा मुझे/हमें मान्य (स्वीकार) है।

दिनांकः–
स्थानः–

निविदादाता के हस्ताक्षर ....
फर्म का नाम ....
पता...
फोन नं..
Bank A/c. No……………………………..
IFSE CODE NO……………………………
BRANCH NAME…………………………